संख्या-03/2025/302/002-83-1002-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल विभाग के चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्कीकृत आय-व्ययक की लेखाशीर्ष संख्या-2070-106-03-0301, लेखाशीर्ष-2070-106-03-0302 एवं लेखाशीर्ष संख्या-2070-106-05-0501 राज्य मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत व्यवस्थित कुल धनराशि रू0 3233.99 लाख (रू0 बत्तीस करोड़ तैंतीस लाख निनान्बे हजार मात्र) में से रू0-3138.89 लाख अर्थात रू0-31,38,89,000/- (रू0 इकतीस करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययियता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यत: शासन तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 को बी0एम0-13 पर उपलब्ध करा दें।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।
(7) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070001060301 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	5,75,000 (रुपये पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	4,05,000 (रुपये चार लाख पाँच हजार मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
7	027	2070001060301 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	027	2070001060301 सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
10	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
	कुल			**11,77,000** **(रुपये ग्यारह लाख सतहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2070001060302 (भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	01 वेतन	1,96,21,000 (रुपये एक करोड़ छियानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)
2	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	03 मंहगाई भत्ता	1,17,73,000 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख तिहत्तर हजार मात्र)
3	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	04 यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
4	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	07 मानदेय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
7	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
9	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
12	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	42 अन्य व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
13	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
14	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
15	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
16	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
17	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	55 मकान किराया भत्ता	28,93,000 (रुपये अट्ठाईस लाख तिरानबे हजार मात्र)
18	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**5,45,82,000** **(रुपये पाँच करोड़ पैंतालीस लाख बयासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2070001060501 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	027	2070001060501 सामान्य	01 वेतन	14,33,50,000 (रुपये चौदह करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
2	027	2070001060501	02	6,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सामान्य	मजदूरी	(रुपये छह लाख मात्र)
3	027	2070001060501 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	8,60,10,000 (रुपये आठ करोड़ साठ लाख दस हजार मात्र)
4	027	2070001060501 सामान्य	04 यात्रा व्यय	5,50,000 (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र)
5	027	2070001060501 सामान्य	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
6	027	2070001060501 सामान्य	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	027	2070001060501 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
8	027	2070001060501 सामान्य	09 विद्युत देय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
9	027	2070001060501 सामान्य	10 जलकर / जल प्रभार	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
10	027	2070001060501 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
11	027	2070001060501 सामान्य	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
12	027	2070001060501 सामान्य	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
13	027	2070001060501 सामान्य	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
14	027	2070001060501 सामान्य	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	027	2070001060501 सामान्य	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
16	027	2070001060501 सामान्य	29 अनुरक्षण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
17	027	2070001060501 सामान्य	42 अन्य व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	027	2070001060501 सामान्य	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
19	027	2070001060501 सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	027	2070001060501 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
21	027	2070001060501 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
22	027	2070001060501 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
23	027	2070001060501 सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
24	027	2070001060501 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	84,50,000 (रुपये चौरासी लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**25,81,30,000** **(रुपये पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार मात्र)**

महायोग	31,38,89,000 (रुपये इकतीस करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव ।

संख्या-03/2025/302/002-83-1002-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।